# कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश

क्रमांक 3139/बैंकर्स/तक/2004 भोपाल, दिनांक 20.10.2004

प्रति,

शाखा प्रबंधक,
समस्त बैंक
मध्यप्रदेश

विषयः जंगम (movable) सम्पति के अननुप्रमाणित (unattested) हाईपोथिकेशन एवं गिरवी (pledge) से संबंधित करारो तथा ऋणों के पुर्नभुगतान को प्रतिभूत करने वाले करारो पर स्टाम्प शुल्क की प्रभार्यता के संबंध में।

--00--

मध्यप्रदेश राज्य में दिनांक 17.09.2004 से जगम संपत्ति के आडमान (हाईपोथिकेशन) तथा गिरवी के अननुप्रमाणित करारों पर स्टाम्प शुल्क की प्रभार्यता के संबंध में शासन द्वारा नई अधिसूचना जारी की गई है। इस अधिसूचना का प्रभाव यह है कि अब केवल 50,000 रूपये तक की राशि के ऋणों को साक्ष्यित करने वाले चल सम्पत्ति के अननुप्रमाणित (unattested) हाईपोथिकेशन एवं गिरवी (pledge) विलेखों को छूट की पात्रता रहेगी। चल सम्पत्ति के अन्य अननुप्रमाणित हाईपोथिकेशन एवं गिरवी विलेखों कके मामले में शुल्क 2 लाख रूपये की अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुए 0.5 प्रतिशत की दर से देय होगा। सुलभ संदर्भ हेतु सूचना की छायाप्रति संलग्न है।

इसी प्रकार अध्यादेश क्रमांक 2 सन् 2004 जो राज्य में दिनांक 20.09.2004 से लागू हुआ है, के द्वारा ऋणों के ऐसे करारों जिनके द्वारा ऋण की राशि का पुर्नभुगतान प्रतिभूत किया गया है पर 50 हजार रूपये के अधिकतम शुल्क अध्यधीन रहते हुऐ 0.5 प्रतिशत की दर से शुल्क अधिरोपित किया गया है। इस संशोधन का यह प्रभव है कि बैंक/वित्तीय संस्थाओं के पक्ष में निष्पादित ऋण के करारों में हक विलेखों के निक्षेप का उल्लेख न होने पर भी उक्त दर से शुल्क देय होगा। अन्य बैंक/वित्तीय संस्थाएं जो पूर्व से ही हक विलेख के निक्षेप के करारों पर शुल्क भुगतान करा रही है, के मामले में संशोधन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात् उनके द्वारा कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा। अध्यादेश के अंग्रेजी प्रारूप में छायाप्रति संलग्न है। कृपया उक्त प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करें ।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

**महानिरीक्षक पंजीयन**
**मध्यप्रदेश**